न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:—57/2024 दायर दिनांक:—27.09.2024

जीसीएमएस नं. 2024/435

किशन उम्र 50 साल पुत्र श्रवण जाति जाटव निवासी सिकरौदा मीना हाल तिवारा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

———————प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

—————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थानभू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—1.श्री रामभरोसी गोयल वकील प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक 22.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा न0 211 रकबा 10 ऐयर, 214 रकबा 21 ऐयर, 215 रकबा 005 ऐयर, 358 रकबा 76 ऐयर वाके ग्राम सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन में स्थित है।

उक्त आराजीयात नवीन खसरा न0 211, 214, 215, 358 वाके ग्राम सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन साबिक खसरा न0 24/4 मिन से बनाये गये है।

साबिक खसरा न0 24/4 रकबा 5 बीघा प्रार्थी के पिताजी श्री श्रवन पुत्र हरेज जाति चमार के कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि थी, तथा उसके मरने के बाद उसका विरासत का नामांतकरण 486 उसके एक मात्र वारिस प्रार्थी किशन पुत्र श्रवन जाति चमार के नाम खोला जाकर दिनांक 25.01.1983 को प्रार्थी के नाम तस्दीक हो गया। तथा उसका इन्द्राज सिकरौदा मीना के जमांबदी के खाता न0 346 में हो गया। तथा प्रार्थी किशन पुत्र श्रवण साबिक आराजी खसरा न0 24/4 का खातेदार हो गया। जिसके इन्द्रजात ग्राम सिकरौदा मीना की जमाबंदी संवत 2036 से 2039 के खाता संख्या 346 में इन्द्राज हो गये तथा प्रार्थी किशन पुत्र श्रवण उसका खातेदार काश्तकार हो गया।

सेटिलमेंट वालो ने साबिक खसरा न0 24/4 के बनाये नवीन खसरा न0 211, 214, 215, 358 वाके सिकरौदा मीना तह0 हिण्डौन [illegible] की जमाबंदी में किशन, पुन्या पिसरान श्रवण जाति चमार के नाम दर्ज कर दी। [illegible] जमाबंदी संवत 2036 से 2039 मे केवल प्रार्थी किशन पुत्र श्रवण का [illegible] बिना जांच किये, बिना अधिकार एवंम बिना किसी सक्षम [illegible] जमाबंदी में पूर्व रिकॉर्ड [illegible] परीत इन्द्राजात किये है, जो गैरकानूनी है। तथा सेटिलमेंट वालो ने प्रार्थी के साथ [illegible] पूर्व रिकोर्ड के विपरीत दर्ज किया है, गांव में पुन्या पुत्र श्रवण जाति चमार कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिये प्रार्थी पून्या पुत्र सरवन का नाम हजफ कराकर उक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी अपने नाम कराने का जरिये इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी ने आराजी मुतजिक्रा मद न0 1 प्रार्थना पत्र का 1/2 हिस्सा बेच दिया है, तथा उक्त आराजी की संतरा देवी पत्नि हरगुन जाति जाटव खातेदार है। तथा वह अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, तथा उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रार्थी काबिज काश्त है उक्त संतरा देवी से प्रार्थी का कोई विवाद नहीं है।

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि नवीन खसरा न0 211, 214, 215, 358 वाके ग्राम सिकरौदा मीना तह0 हिण्डौन के जमाबंदी में हो रहे पुन्ना पुत्र श्रवण जाति जाटव नि0 सिकरौदा मीना का हजफ किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी किशन पुत्र श्रवण जाति जाटव नि0 सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन के नाम जमाबंदी में दर्ज किये जाने व इन्द्राज दुरूस्ती की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन द्वारा पत्रांक 1862 दिनांक 12.04.2024 से जवाब न्यायालय हाजा में पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 स्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। इस मद में वर्णित तथ्यों को प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।
5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। इस मद में वर्णित तथ्यों को प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे।
6. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 न्यायालय से संबंधित है।

धारा 136 एल आर एक्ट के तहत राजस्व रिकॉर्ड में घोषणा खातेदारी की रिलीफ प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। धारा 136 एल आर एक्ट के तहत वे ही शुद्धिया की जा सकती है। जो पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड नाम/जाति के बाबत हो। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाने योग्य है। जबाब शामिल पत्रावली किया गया ।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2036–39 ग्राम सिकरौदा मीना खाता सं0 346, नकल नामांतकरण संख्या 486 दिनांक 25.01.1983, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत 2071–74, नकल आधार कार्ड प्रार्थी, नकल जमाबंदी संवत 2047 पेश किये।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने दौराने बहस में कहा कि धारा 136 एल आर एक्ट के तहत राजस्व रिकॉर्ड में घोषणा खातेदारी की रिलीफ प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। धारा 136 एल आर एक्ट के तहत वे ही शुद्धिया की जा सकती है। जो पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड नाम/जाति के बाबत हो। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार योग्य नहीं है जिससे प्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज फरमाया जानें का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:27 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2036–39 ग्राम सिकरौदा मीना खाता सं0 346, नकल नामांतकरण संख्या 486 दिनांक 25.01.1983, नकल गिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबंदी संवत 2071–74, नकल आधार कार्ड प्रार्थी, नकल जमाबंदी संवत 2047 है। उक्त दस्तावेजी राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार हिण्डौन के जवाब का विवेचन करने पर पाया कि प्रार्थी ने खसरा न0 211, 214, 215, 358 वाके ग्राम सिकरौदा मीना तह0 हिण्डौन के जमाबंदी में हो रहे पून्या पुत्र श्रवण जाति जाटव नि0 सिकरौदा मीना का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर प्रार्थी किशन पुत्र श्रवण जाति जाटव नि0 सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन के नाम जमाबंदी में दर्ज किये जाने हेतु एल.आर.एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे प्रार्थी प्रकरण में पेश किये गये दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है। एवं पैराकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जबाब में भी प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के संबंध में वादीगण/प्रार्थी धारा 136 एल आर एक्ट के तहत राजस्व रिकॉर्ड में घोषणा खातेदारी की रिलीफ प्राप्त करने का प्रार्थी अधिकारी नहीं है। धारा 136 एल आर एक्ट के तहत वे ही शुद्धिया की जा सकती है। जो पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड में नाम/जाति के बाबत हो। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खसरा न0 211 रकबा 10 ऐयर, 214 रकबा 21 ऐयर, 215 रकबा 005 ऐयर, 358 रकबा 76 ऐयर वाके ग्राम सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
22/11/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:23:27 IST
Reason: SelfAttested